ANURAG
Principal District Judge,
Kaimur at Bhabhua
Probate Case No. 48 of 2023
Asgar Idrishi Vs. Aam Janta

न्यायालय – प्रधान जिला न्यायाधीश, कैमूर (भभुआ)

प्रोवेट वाद संख्या– 48/2023

असगर इद्रीशी ——— **आवेदक**

बनाम्

आम जनता ——— **विपक्षी**

20.01.2025	आवेदक की ओर से हाजिरी दी गयी। पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। आवेदक की ओर से दिनांक 12–11–2024 को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत दाखिल संशोधन सशपथ आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदक की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 12.11.2024 को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत वाद में टंकक की गलती के कारण आवेदन–पत्र के विपक्षी कॉलम एवं स्व. अलाउद्दीन मियां के पुत्रों को पक्षकार बनाने तथा कुछ अन्य आवश्यक सुधार व पारिवारिक विवरणी लिखना छूट गया है, जिसे आवेदन पत्र में सुधार करते हुए दर्ज करना आवश्यक है। आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रोवेट वाद में दाखिल आवेदन को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तावित संशोधन औपचारिक प्रकृति का है तथा इससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन शपथ–पत्र द्वारा सम्पुष्ट है। प्रस्तुत मामले की वर्त्तमान सभी परिस्थितियों एवं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक 12.11.2024 को स्वीकृत करते हुए संशोधन आवेदन के अनुरूप प्रोबेट आवेदन में प्रस्तावित संशोधन दर्ज करने की अनुमति प्रदान की जाती है। आवेदक को यह निर्देश दिया जाता है कि दाखिल आवेदन के आलोक में आवेदक में वर्णित तथ्यों के अनुसार आवेदन

	पत्र में सुधार करें तथा नये विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु नजारत एवं निबंधित डाक के लिए नोटिस की आपेक्षिकाएं दाखिल करें। अभिलेख दिनांक 03.03.2025 को विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु। ह0/- प्रधान जिला न्यायाधीश